कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 197/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना देवगांव, जनपद- आजमगढ़

☐ सीओ लालगंज व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही, निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री पर ₹77,500/- का चालान

☐ सोशल मीडिया शिकायत पर त्वरित एक्शन, सरकारी शराब ठेका संचालक को नोटिस जारी

☐ देशी/अंग्रेजी शराब ठेका संचालकों को सख्त चेतावनी, नियम उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निरस्त

आज दिनांक- 24.05.2026 को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत प्राप्त हुई कि थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत रेतवा चंद्रभानपुर स्थित सरकारी शराब ठेका निर्धारित समय के बाद संचालित किया जा रहा है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेश पाण्डेय एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई।

जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित शराब ठेका संचालक के विरुद्ध ₹77,500/- का चालान किया गया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यदि संबंधित द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

☐ *समस्त देशी एवं अंग्रेजी शराब ठेका संचालकों हेतु सख्त चेतावनी-*

जनपद के सभी शराब ठेका संचालक शासन द्वारा निर्धारित समय, नियम एवं शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री, अवैध संचालन अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण, भारी आर्थिक दण्ड एवं अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आजमगढ़ पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी चेकिंग एवं निगरानी की जा रही है।

प्रेस नोट
दिनांक- 24.05.2026
यातायात पुलिस, जनपद- आजमगढ़
□ *यातायात पुलिस व जनपदीय पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्यवाही, 18 डग्गामार चार पहिया वाहन सीज*
□ *क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात के पर्यवेक्षण में चला विशेष औचक चेकिंग अभियान*
□ *बिना परमिट, ओवरलोडिंग एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही जारी*

डॉ0 अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात के कुशल पर्यवेक्षण में विशेष औचक चेकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपदीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बिना परमिट संचालित होने वाले, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले, नियम विरुद्ध सवारी ढोने वाले तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 डग्गामार चार पहिया वाहनों को पकड़ा गया।
उक्त वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए सभी 18 वाहनों को सीज कर थाना कोतवाली एवं थाना कन्धरापुर परिसर में निरुद्ध किया गया है।
□ *जनपद के समस्त वाहन चालकों एवं संचालकों हेतु चेतावनी-*
बिना परमिट वाहन संचालन, ओवरलोडिंग, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

प्रेस नोट, दिनांक- 23.05.2026
थाना- महराजगंज, जनपद- आजमगढ़

□ *महिला गैंग द्वारा मंगलसूत्र व नगदी चोरी करने वाली 05 अभियुक्ताएं गिरफ्तार*
□ *महराजगंज पुलिस ने सरैया बाजार से घटना का सफल अनावरण कर चोरी गये रुपये व मंगलसूत्र किया बरामद*
□ *एसएसपी आजमगढ़ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में त्वरित कार्यवाही, अभियुक्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी*

दिनांक 23.05.2026 को वादिनी श्रीमती चन्द्रमती पत्नी रामप्रीत राम निवासी मड़छा हरिबल्लभ थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तागण 1. राजकुमारी पत्नी धारा प्रसाद निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, 2. उर्मिला पत्नी छांगुर निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, 3. गीता उर्फ चन्दा पत्नी जितेन्द्र निवासी सिधुवापार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, 4. सोनम उर्फ रानू पत्नी पंकज उर्फ दीपचन्द निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ तथा 5. संध्या पत्नी सुग्रीव निवासी कोहरी कोहरा थाना गोला जनपद गोरखपुर द्वारा वादिनी के पर्स से मंगलसूत्र एवं ₹5000/- चोरी कर लिया गया। तलाशी एवं पूछताछ के दौरान चोरी गया सामान मौके से बरामद हो गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 112/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय हमराह पुलिस टीम एवं वादिनी मुकदमा के सहयोग से दिनांक 23.05.2026 को समय लगभग 16:30 बजे सरैया बाजार से उपरोक्त पांचों अभियुक्ताओं को चोरी गये सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-
1. राजकुमारी पत्नी धारा प्रसाद निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

2. उर्मिला पत्नी छांगुर निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. गीता उर्फ चन्दा पत्नी जितेन्द्र निवासी सिधुवापार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
4. सोनम उर्फ रानू पत्नी पंकज उर्फ दीपचन्द निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
5. संध्या पत्नी सुग्रीव निवासी कोहरी कोहरा थाना गोला जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्ता राजकुमारी के पास से मंगलसूत्र व ₹700/-
2. अभियुक्ता उर्मिला के पास से ₹900/-
3. अभियुक्ता गीता उर्फ चन्दा के पास से ₹1100/-
4. अभियुक्ता सोनम उर्फ रानू के पास से ₹1000/-
5. अभियुक्ता संध्या के पास से ₹1300/- बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 112/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्ता राजकुमारी पत्नी धारा प्रसाद निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
   - मु0अ0सं0 05/19 धारा 34/379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद बलिया
   - मु0अ0सं0 112/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 अनुराग कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय हमराह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना- सिधारी, जनपद- आजमगढ़

□ नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

□ सिधारी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त को हाईडिल चौराहे से किया गिरफ्तार

□ पीड़िता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य सह अभियुक्तों की तलाश एवं विवेचना जारी

वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 22.05.2026 को थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षी अशोक कुमार यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा सह अभियुक्तों द्वारा उसका सहयोग किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 64(2), 351(3), 61(2) बीएनएस बनाम 1. अशोक यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, 2. मंगलदीप पुत्र भीमा यादव निवासी धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ तथा 3. भीमा यादव निवासी धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.05.2026 को उ0नि0 धर्मराज यादव थाना सिधारी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अशोक कुमार यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व हाल पता न्यू कालोनी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को हाईडिल चौराहे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अशोक कुमार यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व हाल पता न्यू कालोनी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 64/2026 धारा 64(2), 351(3), 61(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धर्मराज यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 24.05.2026
थाना – गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

NH-28 हाईवे पर बाइक से खतरनाक स्टंट कर वीडियो वायरल करने वाला युवक पुलिस हिरासत में

आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर मोटरसाइकिल सीज, बीएनएसएस के तहत की गई कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा बिना नम्बर प्लेट, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने एवं स्टंटबाजी करने वाले व्यक्तियों/गैंग के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दिनांक 24.05.2026 को उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी मय हमराह द्वारा आजमगढ़-वाराणसी हाईवे मार्ग (NH-28) पर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का संज्ञान लिया गया, जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट करते हुए आमजन के जीवन को जोखिम में डालकर वीडियो बना रहा था।

उक्त वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए **आरोपी साबिर अहमद पुत्र इम्तियाज निवासी ग्राम खिरयानी कमहरिया थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष** को समय करीब 15:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। **अभियुक्त का अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालान** किया गया तथा प्रयुक्त **01 मोटरसाइकिल को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज** किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गयी है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए स्टंटबाजी जैसे खतरनाक कृत्यों से बचें।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 शिवराम सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 सर्वेश कुमार यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़